बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
संकल्प

संख्या-5/वि०आ०2-1017/2023- 1971 पटना, दिनांक- 15/9/25

परिवादी श्री राणा प्रताप सिंह के परिवाद पत्र पर सुनवाई के पश्चात जिला पदाधिकारी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार(लो०शि०नि०), रोहतास, सासाराम द्वारा दिनांक-15.09.2023 को आदेश पारित करते हुए एकरारनामा संख्या-01F_2/2020-21 के अन्तर्गत संवेदक श्री अनिल कुमार आर्या एवं एकरारनामा संख्या-03F_2/2020-21 के अन्तर्गत संवेदक श्रीमती रेखा देवी से नौहट्टा प्रखंड अन्तर्गत क्रमश: 22-22 अदद चापाकल अधिष्ठापन कार्य में एकरारनामा में निहित प्रावधान/शर्तो के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण नहीं कराने एवं उक्त के आलोक में संवेदकों पर अविलम्ब कार्रवाई नहीं किए जाने के दृष्टिगत संबंधित अभियंताओं के विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मो० शमी अख्तर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-699, दिनांक-02.04.2025 द्वारा मो० अख्तर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

02. मो० अख्तर के पत्रांक-2337, दिनांक-31.07.2025 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। मो० अख्तर से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम में कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन के दौरान नौहट्टा प्रखंड अन्तर्गत चापाकलों का अधिष्ठापन नहीं किये जाने के बावजूद मो० अख्तर के स्तर से संबंधित संवेदक के विरूद्ध एकरारनामा में निहित प्रावधानों के तहत ससमय कार्रवाई नहीं की गयी।

03. मो० अख्तर का उपर्युक्त कृत्य बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता मे वर्णित प्रावधानों एवं बिहार सरकारी सेवक अचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

04. वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि मो० अख्तर के विरूद्ध गठित आरोप पत्र पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार के राज्यपाल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं मो० जुबैर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या-05, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

05. आरोपित मो० अख्तर, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि

के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध मे अपना लिखित बचाव-बयान समर्पित करेंगे।

06. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप पत्र (अनुलग्नक सहित) के साथ मो० शमी अख्तर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी मो० जुबैर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या-05, पटना को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12.09.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/वि०आ०2-1017/2023- 1971 पटना, दिनांक- 15/9/25

प्रतिलिपिः-वित्त(वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.09.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/वि०आ०2-1017/2023- 1971 पटना, दिनांक- 15/9/25

प्रतिलिपिः-श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव-सह-जाँच संचालन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं मो० जुबैर, कार्यपालक अभियंता-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या-05, पटना/ मो० शमी अख्तर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनु०-यथोपरि।</u>

12.09.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

संबंध

ज्ञापांक-5/वि०आ०2-1017/2023- 1971 पटना, दिनांक- 15/9/25

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सासाराम/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.09.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/वि०आ०2-1017/2023- 1971 पटना, दिनांक- 15/9/25

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, रोहतास(सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.09.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

12.9.25